भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 221
3 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

बेघर शहरी आबादी के लिए आश्रय

221 श्री संजय सिंह:

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और भूमि अधिकार नेटवर्क (एचएलआरएन) ने बेघर शहरी आबादी का अनधिकृत आंकड़ा 30 लाख (3 मिलियन) प्रस्तुत किया है लेकिन सरकार की आधिकारिक गणना में केवल 9.38 लाख (एक मिलियन से कम) को ही मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें से केवल 1.09 लाख आश्रयों को ही दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) योजना के अंतर्गत बनाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो बेघर आबादी की बची हुई संख्या को आधिकारिक गणना में शामिल करने और तदनुसार आश्रय तैयार करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में शहरी बेघर आबादी 9,38,348 है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से दीनदयाल-अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अन्तर्गत 'शहरी बेघर के लिए आश्रय (एसयूएच)' योजना का प्रबंधन कर रहा है। एसयूएच के दिशा-निर्देशों में आश्रय की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शहरों/नगरों में तीसरे पक्ष का सर्वेक्षण कराने का प्रावधान है। अब

तक, 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 2,39,375 शहरी बेघरों को चिह्नित किया गया है।

इसके अलावा, शहरी बेघरों के लिए आश्रय उपलब्ध कराना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की पहली जिम्मेदारी है और डीएवाई-एनयूएलएम इसमें सहयोग करता है। अब तक, मिशन के अन्तर्गत कुल 86,192 व्यक्तियों की क्षमता वाले 1580 आश्रयों का सृजन किया गया है।

******